राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3016/2024

उर्वशी बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.09.2024

आदेश की दिनांक : 22.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप कलवानिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे और पदस्थापन आदेश दिनांक 26.08.2024 को भी अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वेतन आदि स्वीकृत करते हुये मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक दर से भुगतान किये जाने के आदेश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है और उसे आलोच्य आदेश के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय निदेशक, बीकानेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुर्गापुरा, जयपुर में कार्यरत है और उसे 400 कि.मी. दूर आदेशों की प्रतीक्षा में बीकानेर किया गया है। जबकि आलोच्य एपीओ आदेश नियम 25ए के विरूद्ध जारी किया गया है और आदेश दिनांक 26.08.2024 के द्वारा उसे प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडोदिया कलां, खैराबाद, कोटा किया गया है, जो 240 कि.मी. दूर है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का पदस्थापन एवं एपीओ आदेश स्थानांतरण आदि पर राज्य सरकार द्वारा लगे पूर्ण रूप से प्रतिबंध के बावजूद अपीलार्थी के संबंध में एपीओ आदेश एवं पदस्थापन आदेश जारी किया गया है, जो राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के विपरीत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में कार्यरत हैं और वह जिला जयपुर में पदस्थापित हैं। स्थानांतरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत है तो उनका पदस्थापन एक ही स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर किया जाना चाहिए। लेकिन अपीलार्थी का स्थानान्तरण 240 कि.मी. दूर किया गया हैं, जो उक्त नीति के विपरीत है। आदेश दिनांक 15.01.2023 जिसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की सहमति के बिना स्थानांतरण आदि नहीं किये जाने का निर्देश दिये गये हैं। परंतु अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना अनुमति के किया गया है, जो उक्त निर्देशों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे और पदस्थापन आदेश दिनांक 26.08.2024 को भी अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वेतन आदि स्वीकृत करते हुये मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक दर से भुगतान किये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रतिवाद किया है कि एपीओ आदेश एवं पदस्थापन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियम 25ए के अंतर्गत ही जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आदेश दिनांक 04.01.2023 में यह

उल्लेखित है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अपीलार्थी को नियमानुसार प्रशासनिक कारणो से आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और तदुपरांत उसे पदस्थापित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है और उसे आलोच्य आदेश के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय निदेशक, बीकानेर किया गया है एवं आदेश दिनांक 26.08.2024 के द्वारा उसे प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडोदिया कलां, खैराबाद, कोटा किया गया है, जो 240 कि.मी. दूर है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाना एवं आदेश दिनांक 26.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को जिला कोटा पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब में यह कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है कि विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2023 की पालना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुमति ली गई हो और न ही ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपीलार्थी के एपीओ एवं पदस्थापन के संबंध में अनुमति प्राप्त की गई हो, इस प्रकार उक्त दोनों आलोच्य आदेश बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त जारी किये गये हैं, जो उक्त आदेश दिनांक 04.01.2023 के विपरीत हैं। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25ए में निम्नलिखित आधारों पर ही कार्मिक को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है :–

> *"(1) On return from leave. (2) On reversion to parent department from deputation within India. (3) On return from abroad after completion of training or foreign assignment. (4) On return from training within India. (5) Awaiting posting order after making over charge of the old post under the directions of Appointing Authority. (6) Non-acceptance of the officer on transfer to another post. (7) To save a Government servant from reversion."*

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10490/2024 डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है :–

> *"The discussion made above, therefore, clearly shows that the awaiting posting order passed in the present case is not-in conformity with the provisions of law discussed above as neither it discloses any administrative exigency or emergent nature nor appropriate permission from the office of the Hon'ble Chief Minister was obtained before passing the order impugned. Consequently, the writ petition merits acceptance. The same is allowed. The order impugned dated 24.06.2024 (Annex.5) and its consequential relieving order dated 25.06.2024 (Annex.6) are quashed and set aside."*

इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 एवं आदेश दिनांक 26.08.2024 उक्त नियमों एवं उक्त न्यायिक विनिश्चय के विपरीत जाकर जारी किया गया है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 एवं आदेश दिनांक 26.08.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा अपीलार्थी को उसी स्थान पर पदस्थापित रखा जावे जहां आलोच्य आदेश जारी होने से पूर्व कार्यरत था।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष